(3)

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

कार्यादेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय पूर्व सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर लोक सभा क्षेत्र) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर द्वारा तकनीकि अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर के पत्रांक–223, दिनांक–15.10.2014 द्वारा स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान की गई है।

योजना कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा के माध्यम से कराई जाएगी। **माननीय सांसद महोदय के निधि से राशि प्राप्त होने पर राशि विमुक्त की जाएगी। माननीय सांसद को कार्य प्रारंभ करने एवं शिलान्यास की तिथि से अवगत करायेंगे।**

क्र0	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	तकनीकि अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	मुजफ्फरगंज बाजार के नाट्यमंच एवं उसके उपर तक एक हॉल का निर्माण कार्य	ह0 खड़गपुर	1079500.00	1079500.00

कुल प्रशासनिक स्वी0 की राशि मो0–1079500.00 (दस लाख उनासी हजार पांच सौ) रू0 मात्र।

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्ते–

1. राशि उपलब्ध होने के बाद ही योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे।
2. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो।
3. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व मध्य एवं पूर्ण होने के बाद फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा कर अभिलेख में संधारित किया जाय।
4. योजना स्थल पर विस्तृत सूचना पट्ट लगायी जाय।
5. कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लगातार योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेबार होगें।
6. गुण नियंत्रण प्रमंडल से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
7. योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. योजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासी विभाग को योजना के संधारण हेतु हस्तानांतरित करेंगे।
9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या ज्ञापांक 3756 दिनांक 10.11.2011 एवं समय समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
10. Contigency की राशि के व्यय का लेखा अलग से संधारित होना चाहिए।
11. योजना का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानो के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

(3)

12. इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों एवं सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण अनिवार्य होगा।

13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेंगे की इस योजना में विगत 5 वर्षो में कार्य नही हुआ हो।

14. कार्यकारी एजेंसी संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Structural Design उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. किसी भी योजना का Duplication नही हो।

16. माननीय सांसद द्वारा प्राप्त अनुशंसा पत्र एवं सहमति पत्र को संचिका में रक्षित करेंगे।

17. संबंधित विभाग से योजना का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लेंगे।

18. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

19. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

20. राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।

21. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अन्यत्र नही होगा।

22. खुदाई हेतु काटे जाने वाले मिट्टी का नापी प्रतिदिन किया जाय।

23. कार्यारंभ के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे यह योजना किसी अन्य मद से प्रस्तावित या स्वीकृत न हो।

24. Exiting लेवल को Record करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ करेंगे।

25. निकाले गये मिट्टी का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

(हस्ताक्षर)

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 619 /जि0यो0, दिनांक 12/11/14

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।

(हस्ताक्षर) 12/11/014

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

D:\Aman 5-3-11\Pramod (MPLADS)\Amount Release\Lallan Sing\First kist\Order 08-11-14.doc